4	FP/UK/ROAD/10131/2015 Construction of Pokhari - Kandai Motor Road	ROAD101312015552	6110131552	07 Aug 2018	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	4096375.5/- , 0/- , 0/- , 6210750/- , 0/- 0/- 0/- 10307125.5/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	:10 Jan 2019 :Corporation Bank :NEFT/RTGS (Challan) :11 Jan 2019 :25 Jan 2019	Demand Letter Generated Challan
5	FP/UK/ROAD/10226/2015 helong dumak motor road	ROAD102262015775	6110226775	10 Jul 2018	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	4815331/- , 0/- , 0/- , 7750080/- , 0/- 0/- 0/- 12565411/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	:01 Jan 2019 :Corporation Bank :NEFT/RTGS (Challan) :03 Jan 2019 :25 Jan 2019	Demand Letter Generated Challan
6	FP/UK/ROAD/10790/2015 Construction of Shrigad - Hanoli Motor Road	ROAD107902015056	6110790056	26 Oct 2018	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	1170393/- , 0/- , 0/- , 1774500/- , 0/- 0/- 0/- 2944893/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	:10 Jan 2019 :Corporation Bank :NEFT/RTGS (Challan) :11 Jan 2019 :25 Jan 2019	Demand Letter Generated Challan
7	FP/UK/ROAD/11192/2015 tapovan -karchho motor road	ROAD111922015172	113111922015172	31 Jul 2015	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	1175001/- , 0/- , 0/- , 1783149/- , 0/- 0/- 0/- 2958150/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	:30 Sep 2016 :Corporation Bank :NEFT/RTGS (Challan) :03 Oct 2016 :28 Dec 2016	Demand Letter Generated Challan
8	FP/UK/ROAD/10123/2015	ROAD101232015505	113101232015505	04 Mar 2016	CA: PCA: Safety Zone:	1128480/- , 0/- , 0/- ,	Addl CA : CAT : Addl PA :	0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On	:06 Aug 2016	Demand Letter

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड,लो०नि०वि०,पोखरी

Phone: 01372-222225
Fax:01372-222225
E-Mail:- eepmgsypokhari@rediffmail.com

पत्रांक 540/1सी०कान्नुन

दिनांक 06/05/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत श्रीगढ–हनोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.20 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पत्र संख्या 08/बी/यू0सी0पी0/06/55/2016/एफ0सी0/1542 दिनांक 26.10.2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1097/FP/UK/ROAD/10790/2015 दिनांक 30.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है–

<u>बिन्दु संख्या 01 :–</u> शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि रू0 1170393.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN FOR AD-HOC CAMPA दिनांक 11.01.2019 APPLICATION NO. ROAD 107902015056 द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जमा कर दी गई है (संलग्न–) तथा जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 4475/छब्बीस–16(2018–2019) दिनांक 04.05.2019 के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.20 हे0 सिविल सोयम भूमि का वन विभागीय पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया गया है (संलग्न–1)।

<u>बिन्दु संख्या 02 :–</u> शर्त संख्या 02 के अनुसार NPV की देय धनराशि रू0 1774500.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN FOR AAD-HOC CAMPA दिनांक 11.01.2019 APPLICATION NO. ROAD 107902015056 द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जमा कर दी गई है। (संलग्न–1)

<u>बिन्दु संख्या 03:–</u> शर्त संख्या 03 के अनुसार विभाग द्वारा बढ़ी हुई NPV की धनराशि जमा कर दी जायेगी जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न–1)

<u>बिन्दु संख्या 04 :–</u> शर्त संख्या 04 के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां NEFT/RTGS CHALLAN FOR AD-HOC CAMPA दिनांक 11.01.2019 APPLICATION NO. ROAD 107902015056 द्वारा दिनांक 25.012019 को जमा कर दी गई है। (संलग्न–1)

<u>बिन्दु संख्या 05 :–</u> शर्त संख्या 05 के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सके सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। (संलग्न–1)

<u>बिन्दु संख्या 06:–</u> शर्त संख्या 06 के अनुसार Muck Dumping detail in component wise break up para B 2-4 online Part-1 में अपलोड़ कर दी गई है। (संलग्न–1)

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी वन संरखण उत्तराखण्ड देहरादून विधिवत स्वीकृत हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Recived
06-05-19

भवदीय
06.05.19
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो०नि०वि०, पोखरी।

Scanned by CamScanner

ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत श्रीगढ़

Ex. कैप्टन श्री डी०एस० बर्त्वाल
ग्राम प्रधान

ग्राम श्रीगढ़ पोस्ट जखमाला
तहसील– पोखरी,
जनपद चमोली, उत्तराखण्ड
सम्पर्क:–01372-213094, 9720986465

पत्रांक————

दिनांक 13/2/20

P.G.S.Y. ग्रामीण रोड मोटर मार्ग छतोली से श्रीगढ़ [illegible] गैर सतपाति तक मोटर मार्ग बना जा रहा है जिसकी लम्बाई 3.7 K.M है जिसमें गांव वालों की सहमती से यह कार्य किया जायेगा - जिसमें ① नाप खेत ② सिविल खेत ③ ग्राम पंचायत भूमि ④ वन पंचायत आते हैं सभी गांव वालों की सहमती से final survey किया जा रहा है।

हस्ताक्षर →

नाम

उम्मेदसिंह
महावीरसिंह
त्रिभुवनसिंह
पुष्करसिंह
DALIPSINGH
दलीपसिंह
आनन्दसिंह
केशरसिंह

Sign

Mahavir
DALIPSINGH
[illegible]

हस्ताक्षर
नाम

(16) नीरजसिंह
(17) यशवन्तसिंह
(18) मेहताबसिंह
(19) पत्रासिंह
(20) बलवान
(21) त्रिलोकसिंह
(22) विजयसिंह
(23) राजेन्द्रसिंह
(24) रमेश
(25) जोतसिंह — जोतसिंह
(26) Raghubir Singh
(27) केशरसिंह — केशरसिंह
(28) उदयसिंह
(29) दिनेशसिंह
(30) जयकृष्णसिंह
(31) सोहन सिंह
(32) महावीर सिंह

प्रधान, ग्राम पंचायत कलसीर

प्रधान
श्रीमती शुशीला देवी

ग्राम - कलसीर
पोस्ट ऑफिस- कलसीर
विकास खण्ड- नागपुर -पोखरी (चमोली)
सम्पर्क :-9720770148

क्र.........................   दिनांक 13/12/2013

P.M.G.S.Y ग्रामीण रोड मोटर मार्ग झनोली से श्रीगढ़ से (डाढामेर) अनु.सु. जाति तक मोटरमार्ग बनाया जा रहा है। जिसकी लम्बाई 3.7 Km है। जिसमें गाँववालों की सहमति से यह कार्य किया जायेगा - जिसमें (1) नाप खेत (2) सिविल खेत (3) ग्राम पंचायत ओर है। सभी गाँववालों की सहमती से फाइनल सर्वे किया जा रहा है।

Sign

हस्ताक्षर →
[illegible]
राजेन्द्र
जगदीश लाल
भुवन चन्द्र
[illegible]
भरत सिंह
भगत राम
कुलदीप सिंह
[illegible]
विजय सिंह
[illegible]
[illegible]
हरिपाल आर्य
देवेन्द्र लाल
धनपाल लाल

सुशीला

Hi-Tec Engineers & Cons. Ghaziabad

देव सिंह

राजवीर सिंह

वाल्मीकि

केशव

R. S. Rana

Vikram

भवानी

राजेन्द्र

देवेन्द्र लाल

सुमित्रा देवी

राजेन्द्र लाल

छाया देवी

रीमा देवी

नरेन्द्र लाल

प्रेम राम

जयलाल

कुन्दन लाल

परमानन्द लाल

शिव चन्द्र लाल

बीना देवी

नीलानन्द

बद्री लाल

अशोक सिंह

जगदीश चन्द्र

कमला

कालीलाल

गोपाल लाल

कुन्दन सिंह

गिरधर लाल

किशोरी लाल

1573/45
24/10/18

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 55 / 2016 / एफ0सी0 / 1542

दिनांक: 26 / 10 / 2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत श्रीगढ़–हनोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/10790/2015)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1097 / FP/UK/ROAD/10790/2015 दिनांक 30.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/10790/2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत श्रीगढ़–हनोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.20 है0 ग्राम – चमशील सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर हैं अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Government may upload the muck dumping detail in component wise breakup at para B 2.4 online Part I.

LAC
10.18
PAC II
27.10.18

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.20 है0 ग्राम – चमशील सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 60 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Scanned with CamScanner

— आदेश —

जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत श्रीगढ़–हनोली मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.10 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.20 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव तकनीकी अधिकारी(वानिकी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/55/2016/एफ0सी0/1542 दिनांक 26.10.2018 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत श्रीगढ़–हनोली मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.10 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम चमसील रा0उ0नि0 क्षेत्र पोखरी तहसील पोखरी की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–18 के खसरा सं0–1109 रकबा 3.951 है0 एवं खसरा सं0–1112 रकबा 1.128 है0 मध्ये 0.249 है0 अर्थात कुल 4.200 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II) /2012–18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या 4475/छब्बीस–16 (2018–2019) गोपेश्वरः दिनांकः 04 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, पोखरी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner

Geological Assessment of the Proposed Alignment Corridor of Hanauli to Shrigadh Motor Road. Distt. Chamoli

Introduction:

The Hi-Tec Engineers & Consultants, request the undersigned to carryout the Geological Assessment of 4.1 km long alignment-Corridor of the proposed Hanauli to Shrigadh Motor road under PMGSY CD PWD Pokhri Distt. Chamoli.

General Geology and Geomorphology of the Hanauli to Shrigadh road alignment:-

The proposed road alignment falls in Survey of India toposheet No. 53 N/3 in Chamoli district of Uttarakhand. The area forms a part of Lesser Himalayan Terrain. In this part the ground elevation vary generally between 1636 to 1845 m above mean sea level. Geomorphologically the area is formed of strike ridges and deeply incised valleys besides local perennial and seasonal streams. Main drainage in the area is through a perennial nala namely Hagol gad, flowing in southerly direction in this part.

Various perennial and seasonal nalas join the main drainage nala and are encountered along the proposed road alignment.

The area is prone to landslides due to high relief, high precipitation and presence to overburden. The overburden is mainly boulders of quartzite and chlorite phyllites. Colluvial and flurioglacial deposits generally cover middle and lower valley slopes. Upper slopes are mostly rocky, barren and steep with less overburden.

The region experiences a moderate cold climate. It has a comparatively snowy winter, mild summer followed by rainy season. Montane sub tropical and montane temperature type of vegetation are found in the area. Thick forests and scrubs are seen in the area.

Geology of the project area:-

The study area is located in lesser Himalayan geotectonic block limited by Main Central Thrust in the North and North Almora Thrust in the South. The area is very close to Main Central Thrust to its north.

Techtonic Succession in Pokhari Area

Central Crystalline	North dipping Main Central Thrust
Garhwal Group	Calcareous formation quartzite formation
Almora-Dudatoli crystalline	South dipping North Almora Thrust

Hi-Tec Engineers & Consultants Ghaziabad

Scanned with CamScanner

Along the road alignment on hill slope outcrops of rocks as well as overburden is observed. The rocks in this area belong to the Petroli Formation of Garhwal Groups and include quartzite and chlorite phyllite and biotite schist. Major part of the road alignment is covered by quartizite and the later part by chlorite phyllite. The rocks have a general NW-SE strike and dipping $30^0 - 40^0$ in North easterly direction.

Conclusion and Recommendation:

On the basis of the geological/geotechnical studies, slope in the area is moderate to steep. The slope appears to be stable along the proposed Hanauli to Shrigadh motor road alignment. Both in the rocks as well as in overburden. Quartzite are pretty hard as compared to chlorite phyllite and schists.

(J.N. Dhaundiyal)
Director (Retd.)
Geological Survey of India,
Dehradun

Scanned with CamScanner

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रस्तावों का विवरण जनपद चमोली।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	याचक विभाग का नाम	परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है०	भारत सरकार की सैद्धान्तिक संख्या	दिनाँक	वनभूमि के सापेक्ष वन विभाग को दी जाने वाली चिन्हित सिविल सोयम भूमि का ग्रामवार का विवरण	तहसील का नाम	वन विभाग के पक्ष हस्तानान्तरण हेतु क्षेत्रफल है० में	कुल योग	पट्टी	ग्राम सभा	सिविल भूमि का खसरा न०	सीमा विवरण पू०	सीमा विवरण प०	सीमा विवरण उ०	सीमा विवरण द०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	प्र० मं० ग्रा० स० यो० के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग	पी.एम.जी.एस.वाई. लो.नि.वि. पोखरी	2.10 है.	08 बी./प्र. सी.पी. 06/55/2016/एफ.सी. 1542/ दि. 26/10/018		ग्राम-चमशील सिविल	पोखरी	4.20 है.			चमशील	1109 1112	वन पंचायत भूमि वन गदेरा	पैदल रास्ता	नाप भूमि	मोली गदेरा

अमीन पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड लो०नि०वि० पोखरी

कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड लो०नि०वि० पोखरी

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड लो०नि०वि० पोखरी

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड लो०नि०वि० पोखरी

राजस्व उप निरिक्षक पोखरी

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

SDM (K)

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई खण्ड
लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई खण्ड
लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार, महोदय,
पोखरी।

विषय:- जनपद-चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत श्रीगढ़ ल्वोली मोटर मार्ग निर्माण में परियोजना हेतु प्रस्तावित 2.100 हेक्टेयर के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 4.20 हेक्टेयर राज्य भूमि के प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, श्रीगढ़-ल्वोली मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित 2.10 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम चमसील, रा०उ०नि० क्षेत्र पोखरी, तह० पोखरी के अन्तर्गत हाल बन्दोबस्ती खसरा नं० 1109 रकबा 3.951 हेक्टेयर एवं खु० नं० 1112, रकबा 1.128 हे० मध्ये, कुल 4.201 हेक्टेयर का प्रस्ताव पूर्व में प्रेषित किया गया था। विभागीय अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव का पता न लगने फलस्वरूप पुनः प्रस्ताव प्रेषण किये जाने का अनुरोध किया गया है उक्त के क्रम में, उपरोक्त परियोजना के निर्माण में पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव (नक्शा, खतौनी की छायाप्रति) के आधार पर पुनः प्रस्तावित क्षेत्र का नक्शा, खसरा एवं खतौनी की नकल संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रस्तावित की गई भूमि कुल क्षेत्रफल 4.201 हेक्टेयर भूमि ग्राम चमसील की ज०वि०र० खतौनी खा० सं० 18 श्रेणी 9(3)(ङ) कृषि योग्य बंजर भूमि में दर्ज है। संलग्न नक्शे में प्रस्तावित भूमि में लाल स्याही से घेर कर प्रदर्शित किया गया है। खसरा एवं खतौनी की नकल संलग्न की गई है।

अतः प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सेवा में प्रेषित।

संलग्न:-

[signature] 23/12/19
रा० उ० नि०
पोखरी
पोखरी
तह०सी० ... पोखरी

Scanned with CamScanner

नत्थी खसरा ________ ग्राम चमसील रा० उ० नि० क्षे० पोखरी

तहसील पोखरी जिला चमोली

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1109	3.951	18	उ० ख०ख०	-	-	-		3.951		-	-	-	-	-	-	-	सं०(	3.951		
1112	1.128	18	उ० ख०ख०	-	-	-	म०	0.249		-	-	-	-	-	-	-	सं०(	1.128		

प्रमाणित किया जाता है कि नकल खसरा असल से तैयार किया गया है। ग्राम चमसील की हाल बन्दोबस्ती, ज० वि० २० अ०आ० सं० 18 में, खसरा न० 1109. रकबा 3.951 हे० सम्पूर्ण क्षेत्रफल तथा खसरा नं० 1112, रकबा 1.128 हे०, महये 0.249 हे० कुल 4.200 हे० भूमि, राज्य सरकार की सिविल भूमि पी०एम०जी० एस०वाई० योजना के अन्तर्गत ग्राम अगिद - हिलोली मोटर-मार्ग से प्रभावित होने वाली वन भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई है।

सत्य प्रतिलिपि

13.03.17
रा० उ० नि०
पोखरी

रा० उ० नि० [illegible] /पोखरी
[illegible]
जिला – [illegible]

प्रमाणित किया जाता है कि खसरे की नकल, असल से तैयार की गई है।

[illegible] जोशी
23.2.17

नकल ज०वि०र० खतौनी

ग्राम चमसील रा०उ०नि० क्षेत्र पोखरी तहसील पोखरी जनपद चमोली

श्रेणी 9(3)ड : कृषि योग्य बंजर भूमि

1	2	3	4	5	6	7	8
18	उत्तराखण्ड सरकार (बंजर)		251	0.009	-	-	
			x	x	x	x	
			x	x	x	x	
			x	x	x	x	
			1109	3.951	—	-	— 3.951 हे०
			1112	1.128	—	-	— म० 0.249 हे०
		योग	11	5.595	—	-	

प्रमाणित किया जाता है कि नकल खतौनी मसल से तैयार की गई है। खसरा नं० 1109, रकबा 3.951 हे० सम्पूर्ण क्षेत्रफल, तथा खसरा नं० 1112, रकबा 1.128 हे० मध्ये, 0.249 हे०, ज०वि०र० खतौनी खाता सं० 18; कुल 4.200 हेक्ट० भूमि राज्य सरकार की सिविल भूमि को पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत भिगद- हनोली मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली वन भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल खतौनी कागज से तैयार की गई है।

(हस्ताक्षर) तहसीलदार 13.3.19

सत्य प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) 15/03/19

रा०उ०नि०

पोखरी

रा० उप नि० — मसोली/पोखरी

तहसील — पोखरी

जिला — चमोली

श्रीमान,

तहसीलदार महोदय
पोखरी

महोदय,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के आदेश पत्र अनुसार ग्राम चमसील की खा०खा० सं० 14 में दा० खा० आदेश अमल दरामद किया है। खतौनी नकल की छायाप्रति सत्यापित कर सेवा में प्रेषित है।

रा०उ०नि०
पोखरी
14.5.19

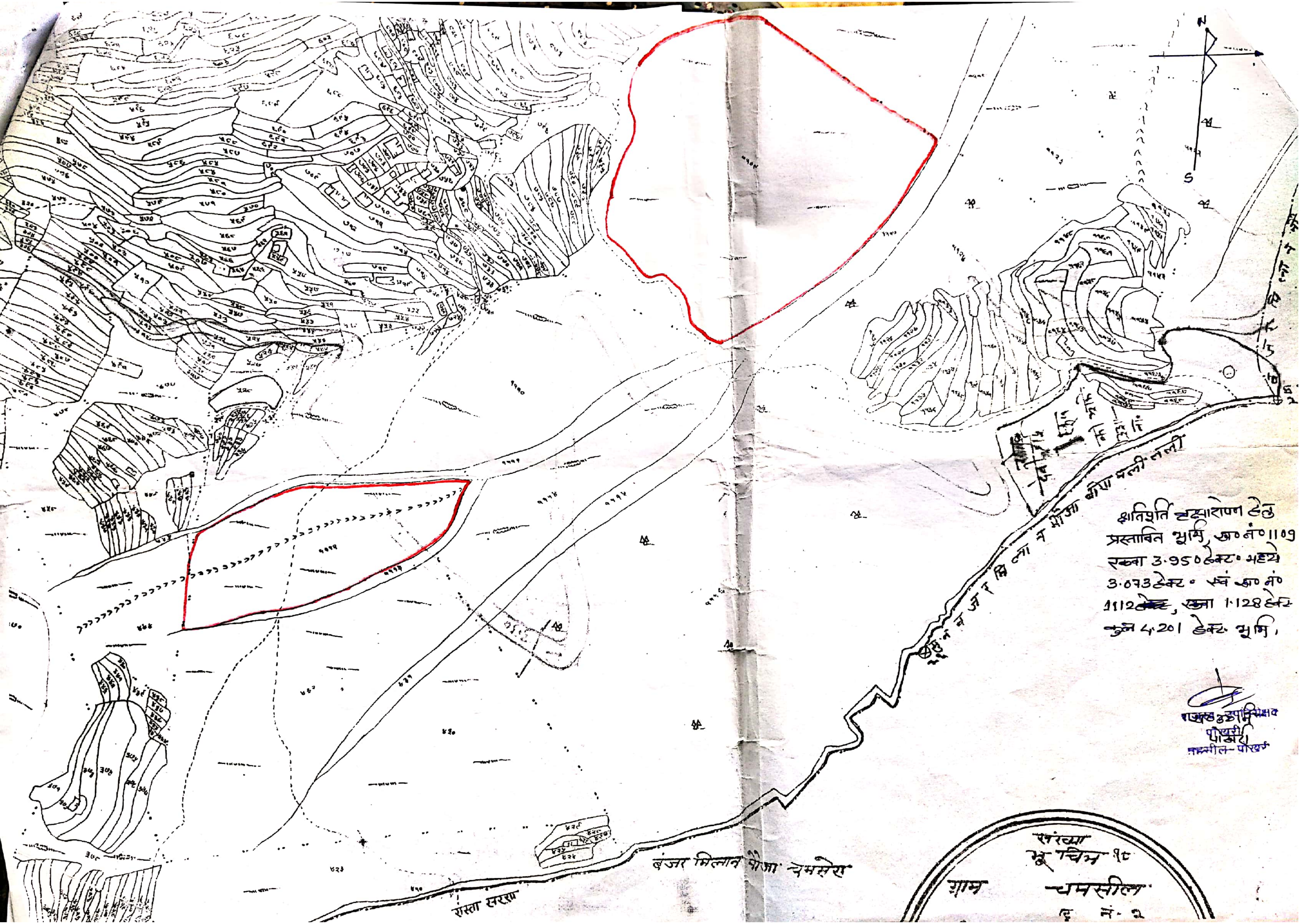
बंजर मिल्तान मौजा चमसेरा
ग्राम
चमसील
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु
प्रस्तावित भूमि, ख० नं० 1109
रकबा 3.950 हेक्ट० मध्ये
3.073 हेक्ट० एवं ख० नं०
1112, रकबा 1.128 हेक्ट०
कुल 4.201 हेक्ट० भूमि।
राजस्व उपनिरीक्षक
पोखरी
तहसील- पोखड़ा

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
—— लगातार ——		1097	0.103	रु० पै०							
		1107म.	0.169								
		1108म.	0.960								
		1110	0.551								
		1114	0.796								
		1123म.	0.008								
		1133	0.055								
	योग	54	22.098								
श्रेणी 13(ग) — स्थायी पशुचर (भूमि) चरागाह की दूसरी भूमियां :—											
17- चरागाह		1016म.	0.259								
		1018म.	2.616								
		1165	0.063								
	योग	3	2.938								
श्रेणी 13(घ) :- दाखत होने की भाति फसल की भूमियां — कोई नहीं											
श्रेणी 13(ङ) :- कृषि योग्य बंजर भूमि ——											
18 बंजर		251	0.109								
		339	0.262								
		495	0.026								
		504	0.045								
		556	0.021								
		727	0.008								
		754	0.076								
		838	0.021								
		846	0.048								
		1109	3.951								
		1112	1.128								

मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के कार्यालय पत्र सं० 4475/ह्वी सं-16 (2018-2019) दिनांक 04 मई 2019 के अनुसार जनपद-चमोली के अन्तर्गत पी०एम०जी० एस०वाई० के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.10 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम चमसील, त० [illegible] की सीमान्तर्गत [illegible] खेत सं० 1109 रकबा 3.951 हे० एवं खेत सं० 1112 (रकबा 1.128 हे०) मध्ये [illegible] .249 हे० कुल 4.200 हे० भूमि को वन विभाग [illegible]

श्रेणी 10 – खाते के बहार ...

श्रेणी 10(1) – जलमग्न भूमि

149 ... कुल 4.200 हे० भूमि को वन विभाग ...

19	शैली		1358क्र.	0.053	✓	
			1368ग.	0.275	✓	
			431	0.155	✓	
			445	0.030	✓	
			1010	0.065	✓	
			1011	0.181	✓	
			1014अ.	0.170	✓	
			1017	0.150	✓	
			1111	0.311	✓	
			1113	0.153	✓	
			1115	0.346	✓	
			1117	0.326	✓	
			1118क.	0.080	✓	
			1121क.	0.035	✓	
		योग	14	2.330		

श्रेणी 10(2) – स्थान, सड़क, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियाँ जो अकृषिक उपयोग में लाई गई हों —

20	मन्दिर		687	0.018		
		योग	1	0.018		
21	जू० हा० स्कूल देवीखेत जि० प० चमोली		1116क.	0.160	✓	
			1122अ.	0.173	✓	(12)
		योग	2	0.333		
22	अनुसूयाप्रसाद पुत्र श्रीनन्द ग्रामसिंह		4अ.	0.020	✓	(13)
		योग	1	0.020	4.280	